न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/एल.आर./2002/2236/नागौर

रामचन्द्र पुत्र श्री शिवलाल, (मृतक जरिये वारिसान)

1/1 श्रीमती मीरा पत्नी श्री रामचन्द्र,

1/2 अशोक पुत्र श्री रामचन्द्र,

1/3 सुखाराम पुत्र श्री रामचन्द्र,

समस्त निवासीगण ग्राम सारंग बासनी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. जवानाराम पुत्र श्री लिछ्मणराम, (मृतक जरिये वारिसान)

   1/1 शोभाराम पुत्र श्री जवानाराम,

   1/2 अणदाराम पुत्र श्री जवानाराम,

   1/3 मिसाराम पुत्र श्री जवानाराम,

   1/4 देवकरण पुत्र श्री जवानाराम, समस्त निवासीगण ग्राम सोगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

   1/5 श्रीमती शोभा देवी पुत्री श्री जवानाराम पत्नी श्री छोटाराम, निवासी ग्राम जसनगर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

   1/6 श्रीमती कब्बू देवी पुत्री श्री जवानाराम पत्नी श्री बाबूराम उर्फ कानाराम, निवासी ग्राम दत्ताणी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

   1/7 श्रीमती चूका देवी पुत्री श्री जवानाराम पत्नी श्री दुर्गाराम, निवासी ग्राम कलरू तहसील मेड़ता जिला नागौर।

2. अणदाराम पुत्र श्री जवानाराम, निवासी ग्राम सोगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता, जिला नागौर।

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

दिनांक : 04–03–2026

निर्णय

1. निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा अपील संख्या 71/1999 में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2002 के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"भू–राजस्व अधिनियम"** लिखा जाएगा) की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सोगावास, तहसील मेड़ता में स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 225, रकबा 3 बीघा की खातेदारी का नामान्तरण संख्या 329 दिनांक 27.02.1979 को रामचन्द्र के पक्ष में तस्दीक किया गया, जिसके विरुद्ध जवानाराम आदि ने 20 वर्ष बाद सन् 1999 में न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर (जिसे आगे **"अपील न्यायालय"** लिखा जाएगा) में धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील दिनांक 15.07.1999 को अपील न्यायालय द्वारा खारिज की गई। तत्पश्चात् तहसीलदार मेड़ता ने नामान्तरण को निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर, नागौर को रेफरेंस प्रेषित किया। जिला कलक्टर, नागौर ने दिनांक 30.12.2000 को उक्त रेफरेंस खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने दिनांक 15.07.2000 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में रामचन्द्र और उसके भाइयों मीसाराम, मेवाराम आदि के पक्ष में बंटवारा की डिक्री जारी कर दी। उक्त के बावजूद, अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर (जिसे आगे "द्वितीय अपील न्यायालय" लिखा जाएगा) के समक्ष जवानाराम आदि ने धारा 76 एल. आर. एक्ट के तहत द्वितीय अपील दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए उनके द्वारा आदेश दिनांक 17.04.2002 के माध्यम से नामान्तकरण संख्या 329 को निरस्त कर दिया गया। द्वितीय अपील न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित हो प्रार्थी रामचन्द्र द्वारा हस्तगत निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस के जरिये अभिकथन किया कि प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मेड़ता ने अपर जिला कलेक्टर, नागौर के समक्ष एक रेफरेंस संख्या 10/2011 उनवान सरकार बनाम मेवाराम वगैरह मेवाराम व रामचन्द्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जो 32 वर्ष मियाद बाहर होने के कारण निर्णय दिनांक 29.11.2000 के माध्यम से खारिज किया गया। विद्वान अभिभाषक ने यह भी जाहिर किया कि अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), मेड़ता द्वारा मुकदमा नं0 25/2005 उनवान आम जनता ग्राम सोगावास, तह. मेड़ता जरिए प्रतिनिधिगण जवानाराम वगैरह बनाम देवाराम वगैरह में राजीनामा/समझौते के आधार पर दिनांक 25.05.2006 को डिक्री पारित की, जिसमें अंकित किया गया कि खेत खसरा नं0 225 रकबा 3 बीघा की खातेदारी मीसाराम के नाम यथावत रहेगी।

5. अप्रार्थी संख्या–2 अणदाराम ने धारा 420, 467, 468, 120(अ), 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 25.01.1999 को एफ.आई.आर. नं0 18/1999 श्री रामदेव शर्मा पटवारी, श्री सागरचन्द शर्मा (भू–अभिलेख निरीक्षक), श्री मोतीलाल शर्मा तहसीलदार (एम.टी.सी.), श्री मोतीलाल शर्मा, शिवलाल पुत्र श्री किशनाराम, हरिराम पुत्र श्री किशराराम, देवाराम पुत्र श्री शिवलाल जाट, रामचन्द्र पुत्र श्री शिवलाल जाट के विरूद्ध प्रस्तुत की, जिसे

पुलिस ने 21 वर्ष पुराना मानते हुए खारिज किया, जिसे बाद में न्यायालयों ने भी मंजूर किया। अणदाराम की अपीलें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय तक गईं, परंतु सभी खारिज हुईं।

6. राजस्व अपीलों में भी जिला कलेक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 15.07.1999 में 21 वर्ष मियाद बाहर मानते हुए अपील खारिज की, जबकि द्वितीय अपील न्यायालय ने अणदाराम व जवानाराम द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को दिनांक 17.04.2002 को स्वीकार करते हुए नामांतरण संख्या 329 दिनांक 27.02. 1979 को निरस्त किया। प्रार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 225 प्रार्थी के खेत खसरा नं0 229, 241, 242 एवं 205 के बीच में आई हुई है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के पहले से प्रार्थी कब्जेकाश्त चला आ रहा है। इसी कारण राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसरण में पुराने कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमि प्रार्थी को नियमन की गई थी। विद्वान अभिभाषक के कथनानुसार 12 वर्ष से अधिक समय तक खातेदारी अधिकार होने पर उन्हें तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। इस बाबत भी प्रार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनी नजीरें 1995 आर.आर.डी. पेज 68, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धांत 1997 डी.एन.जे. पार्ट–7 पेज 632 एवं 2001 आर.आर.डी. पेज 133 हेड नोट–सी आदि भी प्रस्तुत की थी, परंतु निर्णय में इनका उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही कथन किया कि खसरा नं. 224 ग्राम सोगावास के ही अणदाराम, घेवरराम, गुद्दाराम आदि 15 व्यक्तियों को आवंटित हो चुका है और उनके पक्ष में खातेदारी इन्द्राज दर्ज हो चुके हैं तथा उन्होंने उक्त भूमि का बेचान भी कर दिया है। इस प्रकार खसरा नं0 224 के मौके पर खातेदारान आवंटियों द्वारा काश्त की जा रही है, जिसके इन्द्राज को आज दिनांक तक अप्रार्थी अणदाराम, जवानाराम आदि ने चुनौती नहीं दी है। विद्वान अभिभाषक ने कथन प्रस्तुत किया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय उक्त प्रकरण को ज्यादा से ज्यादा जिला कलक्टर, नागौर को प्रतिप्रेषित कर सकते थे, लेकिन 30–40 वर्ष पुरानी नियमन व नामान्तरकरण सम्बन्धि कार्यवाही को निरस्त कर उनके द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है।

7. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का लिखित बहस में यह भी अभिकथन रहा है कि 1979 से लगातार प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है एवं गिरदावरी भी जारी है। उक्त आराजी खसरा नं0 425, जिनके भू–प्रबंध विभाग द्वारा नए पट्टे जारी किए, उसमें नया खसरा नं0 448 दर्ज है और आज दिनांक को भी काबिज काश्त है। अणदाराम द्वारा 07.04.2006 को निष्पादित प्रतिज्ञा–पत्र में भी उक्त आराजी को प्रार्थीगण का माना गया है, जिस पर समस्त व्यक्तियों सहित शिकायतकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों के भी हस्ताक्षर किए गए। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 17.04.2002 त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने

अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016 आरआरटी (2) 1110 तथा 2017 आरआरटी (1) 117 उद्धृत किए।

अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर द्वितीय अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.04.2022 को निरस्त कर जिला कलेक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 15.07.1999 को बहाल करने का निवेदन किया।

8. उपर्युक्त के विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि जिस आदेश के आधार पर नामांतरण संख्या–329 दिनांक 27.02.1979 खोला जाकर तस्दीक किया गया था, उसे कूटरचित मानते हुए द्वितीय अपील न्यायालय ने बिना आधार के एवं बिना समुचित विवेचन के तथ्यों एवं नियमों के विपरीत जाकर अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया है एवं साथ ही नामांतरण संख्या–329 दिनांक 27.02.1979 को भी आलोच्य निर्णय के माध्यम से रद्द किया है। द्वितीय अपील न्यायालय ने विस्तृत विवेचना करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार कर आलोच्य निर्णय दिनांक 17.04.2022 की पुष्टि करने का निवेदन किया।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अभिलेख का अवलोकन किया गया।

10. अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12–08–2010 को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों से स्पष्ट होता है कि नामांतरण संख्या 329 के संबंध में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश से तत्कालीन पटवारी रामदेव शर्मा, पटवार हल्का सोगावास के विरूद्ध जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा नियम 16 सीसीए के तहत आरोप पत्र दिनांक 30–11–2000 को जारी किया गया और उसकी जांच उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 18–08–2003 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें जांच अधिकारी ने यह पाया कि–

> आरोपित कर्मचारी तत्कालीन पटवारी सोगावास रामदेव शर्मा के द्वारा ग्राम सोगावास का नामांतरण संख्या 329 तहसीलदार मेड़ता के आदेश संख्या 164–165 दिनांक 04–04–78 का हवाला देते हुए दर्ज किया गया जिसमें सोगावास के खसरा नं0 225 व 224 के आवंटन नियमन संबंधी कोई भी विवरण अंकित नहीं था। फिर भी पटवारी द्वारा श्री रामचन्द्र व मदन जाट को नाजायज लाभ पहुंचाने की नीयत से कूटरचित रिकॉर्ड तैयार कर अपने पद का दुरूपयोग किया गया।
>
> उक्त कूट रचित रिकॉर्ड तैयारी के आधार पर कीमती सरकारी भूमि रामचन्द पुत्र शिवलाल व मदन पुत्र भीखा जाट को हड़पने में प्रत्यक्ष पूर्णतः सहयोग किया गया। तथाकथित आदेश जिसके द्वारा

नामांतरण संख्या 329 पटवारी द्वारा भरा गया उसका पटवारी द्वारा आदेश पुस्तिका में दर्ज नहीं करना अपने आप में संदेहजनक है। यदि वास्तव में पटवारी के पास आदेश होता तो वह अवश्य उसे आदेश पुस्तिका में दर्ज करता। साथ ही वह उक्त आदेश नामान्तरण की पुश्त पर अवश्य चिपकाता या उसे अवश्यक आदेश पत्रावली में अच्छी तरह नत्थी करता परन्तु कर्मचारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यदि वास्तव में उक्त आदेश होता तो अवश्य आदेश पत्रावली में मिल जाता परन्तु ऐसा कोई आदेश न तो आदेश पत्रावली में मिला न ही आदेश पुस्तिका में उसका इन्द्राज किया हुआ है। आरोपित पटवारी के गवाहों ने अपने बयानों में बताया कि उनके पास आवंटित आदेश उपलब्ध नहीं है, आदेश होता तो उसके पास उपलब्ध होता। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तथाकथित आदेश वास्तव में जारी ही नहीं किया गया परन्तु आरोपित पटवारी द्वारा कूट रचित रिकॉर्ड तैयार कर नामांतरण संख्या 329 भर कर उसे स्वीकृत करवा लिया जिससे उसने अपने पद का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है। साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि आरोपित पटवारी द्वारा कूट रचित रिकॉर्ड तैयार कर कीमती सरकारी भूमि रामचन्द्र पुत्र शिवलाल व मदन पुत्र भीखा जाट को हड़पने में प्रत्यक्षतः पूर्णतः सहयोग किया गया।

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्र.प.10(48) राज–1–/03 दिनांक 21–10–2005 से उक्त आरोपित एवं सिद्ध दोष पटवारी के दिनांक 31–10–2003 को सेवानिवृत हो जाने से, उसकी सुनवाई के उपरान्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम निर्णय हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रमाणित आरोपों की गंभीरता मद्देनजर तत्कालीन पटवारी रामदेव शर्मा को देय पेंशन का 10 प्रतिशत भाग स्थाई रूप से रोके जाने की आज्ञा राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से एवं महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से राजस्व विभाग द्वारा पारित की गई।

11. इस प्रकार तत्कालीन पटवारी द्वारा कूट रचित रिकॉर्ड के आधार पर भरा गया नामा0 संख्या 329 प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य है जिसके आधार पर भू–प्रबंध विभाए एवं राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी में किए गए समस्त अंकन भी प्रारंभ से ही अवैध व शून्य प्रभावी हो गए। प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य प्रभावी जमाबंदी के आधार पर अपीलांट को प्रश्नगत राजकीय आराजीयात ख0न0 224 व 225 पर कोई खातेदारी अधिकार विधिक रूप से उत्पन्न ही नहीं होते हैं। कूटरचित रिकॉर्ड के आधार पर नामा0 संख्या 329 एवं तत्क्रम में जमाबंदी के अंकन और उसके आधार पर अपीलार्थी रामचन्द्र एवं मदन का प्रश्नगत भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं है और बिना किसी वैध खातेदारी अधिकार के उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष बंटवारे का राजस्व वाद 48/1998 का निर्णय एवं डिक्री दिनांक

15-07-2000 कानूनन निराधार एवं राज्य हितों के लिए प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य है और अपीलार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते।

12. जहां कूटरचित रिकॉर्ड के आधार पर नामा0 संख्या 329 के दर्ज एवं स्वीकार करने और उसके विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स संख्या 19/1999 सरकार बनाम रामचन्द्र वगैरह के दिनांक 30-12-2012 को खारिज होने का प्रश्न है, रेफरेन्स न्यायालय ने तत्कालीन पटवारी के कूट रचित रिकॉर्ड के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई में पटवारी को दण्डित किए जाने के तथ्य को अगर ध्यान में रखा होता तो रेफरेन्स न्यायालय का निर्णय निश्चय ही अलग होता और रेफरेन्स खारिज किया जाना संभव नहीं होता। न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, नागौर के समक्ष रेफरेन्स संख्या 10/2011 सरकार बनाम मेवाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29-10-2000 के 32 वर्ष बाद समयावधि में न होने का प्रश्न है, प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य अभिलेख/नामांतरण के विरूद्ध रेफरेन्स/अपील/निगरानी किसी भी समय की जा सकती है। समयावधि के बिन्दु पर नामान्तरण की अवैध एवं शून्य कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आरआरटी 2007(2) SC 939, आरआरटी 2010(2) 1110, आरआरटी 2017(1) 17 हस्तगत प्रकरण से तथ्यात्मक भिन्नता होने के कारण अपीलांट/प्रार्थीगण के पक्ष में चस्पा नहीं होती है।

13. माननीय अपर जिला न्यायाधिश (फास्ट ट्रेक) मेड़ता के समक्ष सिविल वाद संख्या 25/2005 में पक्षकारों के मध्य राजीनामे और डिक्री का प्रश्न है, राजकीय भूमि पर फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर नामा0 भरने, तत्पश्चात जमाबंदी में अंकन करा लेने से प्राइवेट पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से वे राजकीय भूमि पर अनधिकृत तौर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं हो जाते। ऐसे राजीनामे के आधार पर राज्य सरकार की खातेदारी भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार एवं स्वामित्व समाप्त नहीं हो जाता है।

14. जहां तक एफ0आई0आर0 नं0 **18/1999 अंतर्गत धारा 420, 467, 468,120(अ), 120(बी)** भारतीय दण्ड संहिता में एफ.आर. मंजूर करने का प्रश्न है, पुलिस ने इस संबंध में वास्तव में गंभीरता पूर्वक जांच ही नहीं की। आरोपित पटवारी के विरूद्ध 16 सीसीए की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर, नागौर को चाहिए कि फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके राजकीय भूमि हड़पने में शामिल लोगों के खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज कराएं और पुलिस अधीक्षक नागौर को समुचित अनुसंधान कराने के निर्देश जारी करें।

15. शिकायतकर्ता अणदाराम के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस0बी0 क्रिमीनल पीटिशन संख्या 2470/2011 के दिनांक

26-08-2013 को खारिज हो जाने और उसके द्वारा स्टाम्प पर लिखकर दिनांक 07-04-2006 को विवादित आराजी प्रार्थीगण की मान लेने से सरकारी भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता।

16. सम्पूर्ण तथ्यों एवं विधि के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि कूटरचित रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थीगण के नाम विवादित आराजी ख0न0 224 एवं 225 का नामां0 संख्या 329 फर्जी तरीके से दर्ज एवं स्वीकार किया गयां अपीलांट को उक्त भूमि कभी भी आवंटितःनियमित नहीं की गई। उक्त नामांतरण प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य होने से उसके आधार पर जमाबंदी में की गई समस्त प्रविष्टियां और उनके आधार पर उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के राजस्व वाद संख्या 48/1998 के निर्णय एवं डिक्री राज्य सरकार के हितों के विरूद्ध शून्य प्रभावी है।

17. अतः हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है और न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-04-2002 की पुष्टि की जाती है एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के राजस्व वाद संख्या 48/1998 के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलाधीन भूमि ख0न0 225 (नए खसरा नंबरों से) को राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भूमि मुमकिन अंगोर एवं ख0न0 224(नए खसरा नंबरों से) को राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त राजकीय भूमि पर प्रार्थीगण या उनके वारिसान का कोई कब्जा काश्त हो तो उसे अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक माह के भीतर सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर, नागौर एवं पुलिस अधीक्षक, नागौर को भी पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

18. निर्णय सुनाया गया।

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य